4-12-19 पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित नहीं. न्यायालय में विधिवत बार-बार आवाजे लगवाई गई. इसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए. अतः प्रार्थीगण का वाद पत्र मय अदम हाजरी, अदम पैरवी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है. पत्रावली कैफियत पूर्ति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपख
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)